<u>पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 09 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

<u>दिनांक–17.11.2023</u>

<u>दिनांक 16/17.11.2023 को रात्रि थाना गाजीपुर 01, गोसाईगंज 01, हसनगंज 02, महानगर 01, पीजीआई 03, विभूतिखण्ड 01 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना माल 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 09 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

<u>भा0द0वि0</u>

<u>थाना पीजीआई</u>–दिनांक 17.11.2023 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री संजय शुक्ला निवासी– मकान सं0 10बी/577 सेक्टर–10बी वृन्दालन आवास विकास कालोनी थाना पीजीआई लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि वादी दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में दिनांक 12/11/2023 को अपने गृह निवास बछरांवा गया था दिनांक 15/11/2023 को सांय 4.00 बजे गृह आवास से अपने लखनऊ स्थित उक्त आवास पर पहुंचा तो मकान के मेन गेट पर वादी द्वारा लगाया गया ताला लगा पाया। वादी जब मकान के अन्दर प्रवेश किया तो दोनो कमरो का ताला टूटा मिला, गोदरेज स्टील की अलमारी तोड़ दी गयी है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। वादी ने जब अपने सामानो की जांच की तो पता चला कि वादी के उक्त मकान से अज्ञात चोरों द्वारा मकान का ताला तोड़कर घर में रखे सोने–चांदी के कीमती जेवरात, 30,000/–रूपये नगद, एलआईसी पेपर, बैंक का चेक बुक, पास बुक व बच्चों के स्कूल का अभिलेख आदि सामान को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 770/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना दुबग्गा</u>–दिनांक 17.11.2023 को थाना दुबग्गा द्वारा बताया गया कि वादी श्री अरूण कुमार पुत्र रामकुमार निवासी–मुन्नालाल खेड़ा सैंथा, थाना दुबग्गा लखनऊ ने थाना दुबग्गा पर सूचना दिया कि दिनांक 15.11.2023 को वादी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ सुसराल गया था, शाम को वापस आने पर देखा कि वादी के उक्त घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा आलमारी में रखे वादी के पत्नी के कीमती जेवरात व 8,000/–रूपये नगद को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना दुबग्गा पर मु0अ0सं0 382/2023 धारा 454/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना गाजीपुर–दिनांक 17.11.2023 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती अंजली चतुर्वेदी पत्नी स्व0 श्री मोहिल चतुर्वेदी निवासिनी सी–310, इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि दिनांक 12/11/2023 को दिन के लगभग 11.30 बजे वादिनी ने गूगल के माध्यम से वोल्टास सेन्टर का नम्बर लेकर वोल्टास कम्पनी का ए0सी0 लगवाने हेतु सम्पर्क किया। फोन काल के दौरान काल सेन्टर पर कार्यरत कर्मी द्वारा धोखाधड़ी से वादिनी से उसकी आवश्यक जानकारी ले ली गई और वादिनी के स्टेट बैक आफ इंडिया खाता से कुल 99,939/–रू0 व एच०डी०एफ०सी० खाता से 1,00,000/–रू0 की राशि, इस प्रकार वादिनी के दो खातों से लगभग 2 लाख रूपये निकाल लिए गये, इसके अतरिक्त इसी दौरान वादिनी के फोन को हैक करके मेरा पूरा डाटा भी मिटा दिया गया। **इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0.475/2023 धारा 406/420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 09 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक–17.11.2023

दिनांक 16/17.11.2023 को रात्रि थाना गाजीपुर 01, गोसाईगंज 01, हसनगंज 02, महानगर 01, पीजीआई 03, विभूतिखण्ड 01 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना माल 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 09 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना पीजीआई–दिनांक 17.11.2023 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री संजय शुक्ला निवासी– मकान सं0 10बी/577 सेक्टर–10बी वृन्दालन आवास विकास कालोनी थाना पीजीआई लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि वादी दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में दिनांक 12/11/2023 को अपने गृह निवास बछरांवा गया था दिनांक 15/11/2023 को सांय 4. 00 बजे गृह आवास से अपने लखनऊ स्थित उक्त आवास पर पहुंचा तो मकान के मेन गेट पर वादी द्वारा लगाया गया ताला लगा पाया। वादी जब मकान के अन्दर प्रवेश किया तो दोनो कमरो का ताला टूटा मिला, गोदरेज स्टील की अलमारी तोड़ दी गयी है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। वादी ने जब अपने सामानो की जांच की तो पता चला कि वादी के उक्त मकान से अज्ञात चोरों द्वारा मकान का ताला तोड़कर घर में रखे सोने–चांदी के कीमती जेवरात, 30,000/–रूपये नगद, एलआईसी पेपर, बैंक का चेक बुक, पास बुक व बच्चों के स्कूल का अभिलेख आदि सामान को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 770/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना दुबग्गा–दिनांक 17.11.2023 को थाना दुबग्गा द्वारा बताया गया कि वादी श्री अरूण कुमार पुत्र रामकुमार निवासी–मुन्नालाल खेड़ा सैंथा, थाना दुबग्गा लखनऊ ने थाना दुबग्गा पर सूचना दिया कि दिनांक 15.11.2023 को वादी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ सुसराल गया था, शाम को वापस आने पर देखा कि वादी के उक्त घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा आलमारी में रखे वादी के पत्नी के कीमती जेवरात व 8,000/–रूपये नगद को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना दुबग्गा पर मु0अ0सं0 382/2023 धारा 454/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना गाजीपुर–दिनांक 17.11.2023 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती अंजली चतुर्वेदी पत्नी स्व0 श्री मोहिल चतुर्वेदी निवासिनी सी–310, इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि दिनांक 12/11/2023 को दिन के लगभग 11.30 बजे वादिनी ने गूगल के माध्यम से वोल्टास सेन्टर का नम्बर लेकर वोल्टास कम्पनी का ए0सी0 लगवाने हेतु सम्पर्क किया। फोन काल के दौरान काल सेन्टर पर कार्यरत कर्मी द्वारा धोखाधड़ी से वादिनी से उसकी आवश्यक जानकारी ले ली गई और वादिनी के स्टेट बैक आफ इंडिया खाता से कुल 99,939/–रू0 व एच०डी०एफ०सी० खाता से 1,00,000/–रू0 की राशि, इस प्रकार वादिनी के दो खातों से लगभग 2 लाख रूपये निकाल लिए गये, इसके अतरिक्त इसी दौरान वादिनी के फोन को हैक करके मेरा पूरा डाटा भी मिटा दिया गया। **इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0.475/2023 धारा 406/420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 09 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक–17.11.2023

दिनांक 16/17.11.2023 को रात्रि थाना गाजीपुर 01, गोसाईगंज 01, हसनगंज 02, महानगर 01, पीजीआई 03, विभूतिखण्ड 01 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना माल 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 09 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना पीजीआई–दिनांक 17.11.2023 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री संजय शुक्ला निवासी– मकान सं0 10बी/577 सेक्टर–10बी वृन्दालन आवास विकास कालोनी थाना पीजीआई लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि वादी दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में दिनांक 12/11/2023 को अपने गृह निवास बछरांवा गया था दिनांक 15/11/2023 को सांय 4.00 बजे गृह आवास से अपने लखनऊ स्थित उक्त आवास पर पहुंचा तो मकान के मेन गेट पर वादी द्वारा लगाया गया ताला लगा पाया। वादी जब मकान के अन्दर प्रवेश किया तो दोनो कमरो का ताला टूटा मिला, गोदरेज स्टील की अलमारी तोड़ दी गयी है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। वादी ने जब अपने सामानो की जांच की तो पता चला कि वादी के उक्त मकान से अज्ञात चोरों द्वारा मकान का ताला तोड़कर घर में रखे सोने–चांदी के कीमती जेवरात, 30,000/–रूपये नगद, एलआईसी पेपर, बैंक का चेक बुक, पास बुक व बच्चों के स्कूल का अभिलेख आदि सामान को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 770/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना दुबग्गा–दिनांक 17.11.2023 को थाना दुबग्गा द्वारा बताया गया कि वादी श्री अरूण कुमार पुत्र रामकुमार निवासी–मुन्नालाल खेड़ा सैंथा, थाना दुबग्गा लखनऊ ने थाना दुबग्गा पर सूचना दिया कि दिनांक 15.11.2023 को वादी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ सुसराल गया था, शाम को वापस आने पर देखा कि वादी के उक्त घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा आलमारी में रखे वादी के पत्नी के कीमती जेवरात व 8,000/–रूपये नगद को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना दुबग्गा पर मु0अ0सं0 382/2023 धारा 454/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना गाजीपुर–दिनांक 17.11.2023 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती अंजली चतुर्वेदी पत्नी स्व0 श्री मोहिल चतुर्वेदी निवासिनी सी–310, इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि दिनांक 12/11/2023 को दिन के लगभग 11.30 बजे वादिनी ने गूगल के माध्यम से वोल्टास सेन्टर का नम्बर लेकर वोल्टास कम्पनी का ए0सी0 लगवाने हेतु सम्पर्क किया। फोन काल के दौरान काल सेन्टर पर कार्यरत कर्मी द्वारा धोखाधड़ी से वादिनी से उसकी आवश्यक जानकारी ले ली गई और वादिनी के स्टेट बैक आफ इंडिया खाता से कुल 99,939/–रू0 व एच०डी०एफ०सी० खाता से 1,00,000/–रू0 की राशि, इस प्रकार वादिनी के दो खातों से लगभग 2 लाख रूपये निकाल लिए गये, इसके अतरिक्त इसी दौरान वादिनी के फोन को हैक करके मेरा पूरा डाटा भी मिटा दिया गया। **इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0.475/2023 धारा 406/420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**